न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकियत वाद—54 / 2022

बाबुलाल राय...............................वादी

बनाम

अवधेश राय ....प्रतिवादी

आदेश

11.10.23 अभिलेख आज वादी की ओर से वादपत्र संशोधन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक—18.08.2023 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं है।

अपने आवेदन में वादी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा पूर्व में दाखिल संशोधन आवेदन क आलोक में अनुतोष में संशोधन किए गए थे, परन्तु अनुतोष सं0—3 में जब तक प्रस्तावित संशोधन सम्मिलित नहीं किया जाता है तब तक वह वाक्य पूरा नहीं होगा। अतएव संशोधन स्वीकृत करने की कृपा की जाए। प्रस्तावित संशोधन दखल—कब्जा वापसी की मांग को लेकर है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वर्तमान वाद में वादी द्वारा वादपत्र के अनुतोष में पूर्व के संशोधन दिनांक—17.06.2022 के द्वारा बेदखली के संबंध में अनुतोष को जोड़ा गया, परन्तु यह सही है कि उसमें बेदखली संबंधी डिकी की मांग नहीं की गई है। इस प्रकार औपचारिक रूप से अनुतोष में प्रस्तावित तथ्य का जोड़ा जाना वाद के अंतिम न्याय—निर्णयन एवं उभय पक्षों के मध्य विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण हेतु आवश्यक है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त संशोधन आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वादी को निर्देश दिया जाता है कि आदेश की तिथि से 14 दिनों के भीतर वादपत्र संशोधित करें तत्पश्चात् वादी को निर्देश दिया जाता है कि, चूंकि वर्तमान वाद में मांगा गया अनुतोष पूर्णरुपेण परिवर्तीत हुआ है। अतः संशोधित वादपत्र के साथ सभी प्रतिवादीगणों की उपस्थिति हेतु सूचना निर्गत करें।

वाद दिनांक— 10-11-2023 वास्ते सम्मन का उपकरण दाखिल करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर।
11/10/2023